मध्यप्रदेश चिकित्सा-व्यवसायी पंजीयन विधेयक, १९६२

(१९६२ का क्रमांक ३८)

के सम्बन्ध में

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

प्रवर समिति द्वारा यथा-संशोधित विधेयक सहित

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९६४

मध्यप्रदेश चिकित्सा व्यवसायी पंजीयन विधेयक, १९६२
(१९६२ का क्रमांक ३८)

प्रवर समिति का गठन

सभापति

१. श्री महेशदत्त मिश्र

सदस्य

२. श्री आनन्द स्वरूप मिश्रा
३. श्री रामचन्द्र वाजपेई
४. श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव
५. श्री वृन्दावन प्रसाद तिवारी
६. श्री प्यारेलाल
७. श्री चन्द्रप्रताप तिवारी
८. डा. गोवर्द्धन शर्मा
९. श्री भुवन भाष्कर सिंह
१०. डा. टुमन लाल
११. डा. वी. वी. राय
१२. श्रीमती रतनकुमारी देवी
१३. श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय
१४. श्री गुलशेर अहमद, विधि मंत्री
१५. डा. रामाचरण राय, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य

सचिवालय

१. श्री मदन गोपाल , सचिव
२. श्री रामचन्द्र कन्हाई, अवर सचिव.

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे मध्यप्रदेश चिकित्सा व्यवसायी पंजीयन विधेयक, १९६२ (१९६२ का क्रमांक ३८). निर्दिष्ट किया गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, उसके इस प्रतिवेदन को प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूं.

२. *विधेयक विधान सभा में दिनांक २ मार्च, १९६४ को डा. रामाचरण राय, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य द्वारा पुरःस्थापित किया गया तथा उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया, जिस पर सदन में विचार किया गया और उसी दिन स्वीकार कर लिया गया.

समिति की कुल ८ बैठकें हुई.

३. दिनांक २७ मई, १९६४ को हुई प्रथम बैठक में समिति ने निश्चय किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाय कि जो व्यक्ति या संस्थायें विधेयक पर अपने विचार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं वे लिखित ज्ञापन की ३० प्रतियां हिन्दी में सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, के पास दिनांक १५ जून १९६४ तक भेज दें और जो ज्ञापन के अतिरिक्त समिति के समक्ष साक्ष्य भी देना चाहते हों वे इसके लिए निश्चित प्रार्थना भी करें.

४. समिति को परिशिष्ट एक में उल्लिखित विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से विधेयक के संबंध में ४७ ज्ञापन प्राप्त हु

५. दिनांक २५ जून, १९६४ को हुई दूसरी बैठक में समिति ने परिशिष्ट दो में उल्लिखित १३ संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को सुना.

६. दिनांक २६ जून, १९६४ को हुई तीसरी बैठक में समिति ने विधेयक पर सामान्य चर्चा की.

७. दिनांक १९ और २० जुलाई को हुई चौथी एवं पांचवीं बैठकों में समिति ने विधेयक पर खंडशः विचार किया तथा विभिन्न खंडों के संशोधनों के प्रारूप पर विचार किया.

८. दिनांक १०, ११ और १२ अगस्त, १९६४ को हुई छठवीं, सातवीं एवं आठवीं बैठकों में समिति ने विधेयक के खंडों के संशोधनों के पुनरीक्षित प्रारूप पर विचार किया और उनको अनुमोदित किया.

समिति ने सभापति को प्रतिवेदन को अनुमोदित करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया.

९. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य-मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचार आगे की कंडिकाओं में दिये गये हैं.

१०. खंड २.—समिति का मत है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता में केवल भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का क्रमांक १०२) को अनुसूचियों में सम्मिलित अर्हता ही शामिल की जानी चाहिए.

तदनुसार उपखंड (ङ) का पद (दो) निकाल दिया गया है.

---

* "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण, दिनांक २ अगस्त, १९६२ में अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित.

११. खंड ४.--समिति का विचार है कि शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट सभापति के स्थान पर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन परिषद् द्वारा अपने में से अथवा पंजीयित व्यवसायियों में से किया जाना चाहिये किन्तु प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मनोनयन राज्य शासन द्वारा ही किया जाना चाहिए. खंड में परिषद् की सदस्य संख्या सभापति को छोड़कर १२ दी गई है जिनमें से ६ पंजीयित व्यवसायियों द्वारा चुने जाना हैं तथा उतने ही शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाना हैं. उपखंड (१) के पद (ग) में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग दो में दी गई चिकित्सा अर्हतायें प्राप्त मध्यप्रदेश के निवासियों को अलग से परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान किया गया है. इसे समिति ने आवश्यक नहीं समझा. समिति ने परिषद् में चुने हुए सदस्यों के अनुपात में वृद्धि करना भी आवश्यक समझी. समिति ने चुने हुए और नामनिर्दिष्ट सदस्यों में ८ और ५ का अनुपात उपयुक्त समझा. यदि कोई पंजीयित व्यवसायी जो परिषद् का सदस्य न हो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो तो परिषद् की सदस्य संख्या में उतनी वृद्धि तथा ऐसे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को परिषद् का सदस्य समझे जाने का प्रावधान किया जाना समिति ने उपयुक्त समझा.

निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्यों के नामों का राजपत्र में प्रकाशन करना तथा एस प्रकाशन क दिनाक से परिषद् के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि के आशय के लिए क्रमशः पद ग्रहण करने की तिथि मानना समिति ने उचित समझा.

तदनुसार खन्ड ४ प्रतिस्थापित किया गया.

१२. खंड ६.—समिति ने उपखंड (२) अनावश्यक समझा अतः उसे निकाल दिया गया है.

१३. खंड ७.—समिति का विचार है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा परिषद् के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होनी चाहिए किन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने तक रहना चाहिए.

तदनुसार उपखंड (१) और (३) प्रतिस्थापित किये गये हैं और उपखंड (२) निकाल दिया गया है.

१४. खंड ८.—समिति का मत है कि परिषद् की गणपूर्ति पांच सदस्यों की उपस्थिति पर होनी चाहिए.

तदनुसार उपखंड (२) में संशोधन किया गया है.

१५. खन्ड ९.—समिति आवश्यक समझता है कि शासन को प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पूर्णकालिक वैतनिक पदाधिकारी के रूप में रखने का निदेश देने तथा उनके वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें नियमों द्वारा निश्चित कर सकने का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा वैतनिक उपाध्यक्ष के कर्तव्यों तथा शक्तियों का प्रावधान भी किया जाना चाहिए.

तदनुसार खंड ९ प्रतिस्थापित किया गया है.

१६. खंड १०.—समिति सोचती है कि कार्य की मात्रा को दृष्टि में रखते हुए परिषद् के कोषाध्यक्ष की नियुक्ति वांछनीय नहीं है अतः रजिस्ट्रार द्वारा ही कोषाध्यक्ष का कार्य किया जाना चाहिए.

तदनुसार उपखंड (२) निकाल दिया गया तथा उपखंड (१), (४), (५) और (६) में संशोधन किये गये हैं.

१७. खंड १२.—समिति का मत है कि राज्य चिकित्सा पंजी में नाम दर्ज कराने की फीस जो २० रुपये रखी गई है वह कम है अतः उसे बढ़ा कर १०० रुपये किया जाना चाहिए.

तदनुसार खंड में संशोधन किया गया है.

१८. खंड १३.—खंड में किया गया संशोधन प्रारूप में सुधार करने की दृष्टि से है.

१९ खंड १७.—समिति का यह विचार है कि खंड १६ और २१ के अंतर्गत भी जांच की कार्य-प्रणाली के संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए.

तदनुसार खंड में संशोधन किया गया है.

२०. खंड १९ तथा १९-क.—समिति का मत है कि परिषद् की निधि तथा उसके उपयोग के संबंध में निश्चित प्रावधान किया जाना चाहिए.

तदनुसार खंड १९ प्रतिस्थापित किया गया है तथा नया खंड १९-क जोड़ा गया है.

२१. खंड २१.—समिति का विचार है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से तुरन्त पूर्व १० साल से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले ऐसे चिकित्सकों को जिनकी आजीविका का एक-मात्र साधन ऐसा व्यवसाय हो और जो राज्य चिकित्सा पंजी में पंजीयन की योग्यता न रखते हों या जो निर्दिष्ट दिनांक के तुरन्त पूर्व अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाने वाली योग्यता रखते हों या जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई अर्हता रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को भी इस खंड के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में सम्मिलित किया जावे. इस दृष्टि से और प्रारूप में सुधार करने की दृष्टि से उपखंड (१) प्रतिस्थापित किया गया है तथा विधेयक के अंत में अनुसूची जोड़ी गई है.

(२) समिति ने उपखंड (२) के अंतर्गत निर्दिष्ट सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए इच्छुक व्यवसायी से ली जाने वाली फीस को विधेयक में ही सौ रुपये निर्धारित कर दिया जाना अधिक उपयुक्त समझा. तदनुसार उपखंड (२) में संशोधन किया गया है.

(३) समिति ने सोचा कि परिषद् के अतिरिक्त उसकी एक समिति को भी, जो खंड २९ के अधीन निर्मित नियमों द्वारा प्राधिकृत की जाय, जांच करने का अधिकार होना चाहिए कि उपखंड (१) के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति उस उपखंड में निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं तथा उसकी तुष्टि हो जाने पर उसे ऐसे आवेदक का नाम सूची में सम्मिलित करने का अधिकार रहे.

तदनुसार उपखंड (३) प्रतिस्थापित किया गया है.

(४) उपखंड (३) में परिषद् की समिति को भी सूची में नाम सम्मिलित करने का अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप समिति ने यह भी विचार किया कि इस खंड के अधीन दिये गये आदेश की अपील, यदि ऐसा आदेश परिषद् द्वारा दिया गया हो तो राज्य शासन के पास और समिति द्वारा दिया गया हो तो परिषद् के पास और परिषद् द्वारा दिये गये आदेश की दूसरी अपील राज्य शासन के पास करने का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा ऐसी अपील पक्षकार को आदेश प्राप्त होने की तिथि से ३ मास के भीतर की जानी चाहिए.

तदनुसार उपखंड (४) प्रतिस्थापित किया गया है नये उपखंड (४-क) तथा (४-ख) जोड़े गये हैं और उपखंड (६) में संशोधन किया गया है.

२२. खंड २५.—समिति ने सोचा कि इस खंड में केवल राज्य चिकित्सा पंजी में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज नहीं है और जो अपना नाम उक्त पंजी में होने का झूठा दावा करते हैं, उनके लिए अर्थ दंड के प्रावधान के साथ-साथ कठोर कारावास का भी प्रावधान किया जाय. साथ ही खंड २१ के अधीन तैयार की गई सूची में जिन व्यक्तियों के नाम अंकित नहीं हैं और वे ऐसा बताने का झूठा दावा करते हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान करना समिति को उचित प्रतीत हुआ. खंड २२ के आदेशों के उल्लंघन के लिए भी अर्थदंड के साथ-साथ कठोर कारावास का प्रावधान करना समिति ने उपयुक्त समझा.

तदनुसार उपखंड २५ प्रतिस्थापित किया गया है.

२३. खंड ३०.—समिति का मत है कि खंड २१ के अधीन रखी जाने वाली सची में नाम सम्मिलित कराने के लिये आवेदन पत्र के साथ कौन-कौन से ब्योरे तथा प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए इसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जानी चाहिए.

तदनुसार खंड ३ का पद (छ) प्रतिस्थापित किया गया है.

२४. खंड ३१-३२.—समिति की राय है कि खंड ३ के अन्तर्गत परिषद् की स्थापना के फलस्वरूप चिकित्सा व्यवसायी पंजीयन अधिनियम, १९३५ (भोपाल अधिनियम क्रमांक सात, १९३५) के अन्तर्गत स्थापित परिषद एलोपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों के संबंध में ही विघटित समझा जाना चाहिये. इसी प्रकार उक्त अधिनियम को केवल एलोपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों के संबंध में निरस्त किया जाना चाहिए शेष के लिए नहीं.

तदनुसार खंड ३१ के पद (क) में संशोधन किया गया है, नया पद (क-१) जोड़ा गया है और खंड ३२ में संशोधन किया गया है.

२५. समिति द्वारा अन्य खंडों में किये गये संशोधन आनुषंगिक या गौण स्वरूप के हैं.

२६. समिति सिफारिश करती है कि समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाय.

महेशदत्त मिश्र
सभापति.

दिनांक ८ सितम्बर, १९६४.

परिशिष्ट एक

(कंडिका ४ देखिये)

संस्थायें तथा व्यक्ति जिनसे मतों/सुझावों के ज्ञापन प्राप्त हुए.

क्रमांक	किससे प्राप्त हुआ	की गई कार्यवाही
(१)	(२)	(३)
१	डा. यू. एस. पाठक, दमोह	संक्षिप्त विवरण सदस्यों को परिवहित किया गया.
२	डा. सी. एस. शर्मा, नरबदा मेडिकल होम, दतिया ..	,, ,,
३	डा. गोविन्द राम, लश्कर	,, ,,
४	आनंदभवन फार्मेसी, पिपरिया	,, ,,
५	गुलाना विधान सभा क्षेत्र की जनता	,, ,,
६	डा. करनसिंह, अकोदिया मंडी, शाजापुर	,, ,,
७	डा. बाबूलाल जैन, अकोदिया मंडी, शाजापुर	,, ,,
८	डा. पी. व्ही. कपूर, अकोदिया मंडी, शाजापुर	,, ,,
९	डा. देवीलाल मुन्नालाल विश्वकर्मा, सारंगपुर	,, ,,
१०	प्रायवेट चिकित्सक संघ, ग्राम मक्सी	,, ,,
११	कांग्रेस कमेटी, अकोदिया	,, ,,
१२	मंडी समिति, अकोदिया	,, ,,
१३	डा. जयदेव आयुर्वेदालंकार, पो. पाटन	,, ,,
१४	डा. बा. ला. शर्मा तथा अन्य आठ व्यक्ति, चांपा, जिला बिलासपुर	,, ,,
१५	हकीम गुलराजमल, धमतरी, जिला रायपुर	,, ,,
१६	हकीम परसराम, धमतरी, जिला रायपुर	,, ,,
१७	डा. आर. डी. शर्मा, अन्नपूर्णा दवाखाना, बीनागंज, गुना ..	,, ,,
१८	हकीम सागत राम तथा अन्य चार व्यक्ति, कटनी ..	,, ,,
१९	डा. मोतीराम तथा अन्य सात व्यक्ति, नेवरा, रायपुर ..	,, ,,
२०	डा. सत्य नारायण तथा अन्य बारह व्यक्ति, अवेलपुरा, उज्जैन	,, ,,
२१	डा. जेड. यू. कुरैशी, शिवपुर कला	,, ,,
२२	परगना आयुर्वेद मंडल, खाचरौद	,, ,,
२३	डा. एच. आर. राजपूर तथा सात अन्य व्यक्ति, करेली, जिला नरसिंहपुर.	,, ,,
२४	प्रायवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स असोसिएशन आफ इंडिया, मध्य-प्रदेश शाखा, ग्वालियर.	,, ,, (साक्ष्य देने के लिये भी आये)
२५	नेशनल मेडिकल असोसिएशन आफ इंडिया, मध्यप्रदेश शाखा, लश्कर, ग्वालियर.	,, ,,

(१)	(२)	(३)
२६	नेशनल मेडिकल असोसिएशन आफ इंडिया, मध्यप्रदेश, शाखा, उज्जैन, जिला शाखा.	सदस्यों में परिवहित किया गया.
२७	प्रायवेट चिकित्सक संघ, परगना शुजालपुर	,, ,,
२८	जिला चिकित्सक संघ, शाजापुर	(साक्ष्य देने के लिये भी आये)
२९	एल. ए. पी. असोसिएशन, मध्यप्रदेश, जबलपुर	,, ,,
३०	वैद्य रामनारायण शास्त्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, देशी औषध परिषद, मध्यप्रदेश-मध्यभारत क्षेत्र, ग्वालियर	,, ,,
३१	परगना चिकित्सक संघ, तराना	सदस्यों में परिवहित किया गया.
३२	मध्यप्रदेश माडर्न इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, इंदौर ..	,, ,,
३३	रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स सोसायटी, इंदौर	,, ,,
३४	आयुर्वेद मंडल, हीरागंज, कटनी	,, ,,
३५	डा. गोविन्द हरि मराठे तथा दो अन्य व्यक्ति, लश्कर ..	(साक्ष्य देने के लिये भी आए)
३६	डा. शैल कुमार शर्मा, प्रावेइट चिकित्सक, शुजालपुर	,, ,,
३७	मध्यप्रदेश प्रगतिशील चिकित्सक संघ, जबलपुर	,, ,,
३८	डा. कन्हैयालाल, सिरोंज	सदस्यों में परिवहित किया गया.
३९	देवास जिला चिकित्सक संघर्ष समिति, देवास	,, ,,
४०	प्रायवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स असोसिएशन, दतिया ..	(साक्ष्य देने के लिए भी आये).
४१	डा. मोहनलाल पी. एम. पी., बैरागढ़	सदस्यों में परिवहित किया गया.
४२	मध्यप्रदेश आयुर्वेद रत्न स्नातक संघ, जबलपुर	(साक्ष्य देने के लिए भी आये).
४३	परगना चिकित्सक संघ, सारंगपर	सदस्यों में परिवहित किया गया
४४	दि रीजनल होमियोपैथिक एंड बायोकैमिक एसोसिएशन, उज्जैन	,, ,,
४५	वैद्य परिषद, दमोह	,, ,,
४६	प्रायवेट चिकित्सक, उज्जैन	,, ,,
४७	डा. चुन्नीलाल वर्मा, जनता दवाखाना, सांवेर	,, ,,

परिशिष्ट दो

(कंडिका ५ देखिये)

संस्थाओं तथा व्यक्तियों के नाम जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

(१) नेशनल मेडिकल असोसिएशन आफ इंडिया, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(क) डा. डी. सी. सेठी
(ख) डा. डी. एल. अग्रवाल
(ग) डा. वी. पी. शर्मा
(घ) डा. अशोक कुमार
(ङ) डा. पी. के. जैन

(२) जिला चिकित्सक संघ, शाजापुर

(क) डा. मांगीलाल सोनी, शाजापुर
(ख) डा. सुरेश
(ग) डा. प्रतापसिंह, सारंगपुर

(३) प्रायवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स असोसिएशन, दतिया

(क) डा. गोवर्द्धनदास के. सुखानी
(ख) डा. हशमतराय

(४) मध्यप्रदेश आयुर्वेद रत्न स्नातक संघ, जबलपुर.

(क) डा. अमोलक चंद
(ख) डा. सोहनसिंह
(ग) डा. ओ. पी. उपाध्याय

(५) मध्यप्रदेश प्रगतिशील चिकित्सक संघ, जबलपुर

(क) डा. महेन्द्रकुमार सराफ
(ख) श्री एस. पी. पांडे
(ग) श्री एच. के. विश्वकर्मा

(६) म. प्र. एल. ए. पी. असोसिएशन, जबलपुर

(क) डा. के. पी. गोस्वामी
(ख) डा. पी. मार्टिन
(ग) डा. एस. सी. जैन
(घ) डा. एस. सी. साहू
(ङ) डा. एन. के. साहनी

(७) प्रायवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स असोसिएशन आफ इंडिया, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(क) डा. मनमोहन बत्रा
(ख) डा. पापरीकर
(ग) डा. जी. डब्ल्यू. सेवानी

(८) (क) आयुर्वेदाचार्य रामनारायण शास्त्री, इंदौर

(ख) श्री सीताराम अजमेरा, अध्यक्ष, म. प्र. आयुर्वेद परिषद्

(९) (क) डा. गोविंदहरी मराठे, ग्वालियर

(ख) डा. माधौराव किड़ेकर

(ग) डा. रघुनाथराव पापरीकर

(१०) प्रायवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, दिल्ली

डा. आर. के. भारद्वाज, अध्यक्ष

(११) डा. शैलकुमार शर्मा, शुजालपुर.

(१२) डा. एस. आर. नावानी, कटनी

(१३) डा. आर. ओ. ठाकुर, रायसेन.

विमति टिप्पणियां

(एक)

मैं विधेयक के खंड २१ के उपखंड (५) से सहमत नहीं हूं. मेरा स्पष्ट मत है कि यह उपखंड १४ के विरुद्ध तो है ही, परन्तु साथ ही साथ केन्द्रीय कानून के भी विरुद्ध है. इस उपधारा के कारण देश में "क्वेकरी" को रोकना नितांत असंभव होगा.

भोपाल :

दिनांक ११ जुलाई १९६४.

बी. बी. राय.

(दो)

प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति में विचारार्थ लिये जाने तथा उस पर साक्ष्य लेने के पश्चात् शासन की ओर से जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उससे विधेयक प्राय: पूर्णत: बदल गया है. विधेयक के लगभग आधे खंडों में बहुत बड़े परिवर्तन कुछ खंडों को हटाकर उनके स्थान पर नये खंड लाकर, कुछ को सर्वथा हटाकर तथा कुछ को अत्यधिक विस्तृत कर, दिये गये हैं. फलत: सदन में प्रस्तुत विधेयक व प्रवर समिति द्वारा परिवर्तित विधेयक, इस प्रकार विधेयक, के दो स्वरूप बन गए हैं और इस परिवर्तन से विधेयक की मूल भावना तथा विधेयक के "उद्देश्य एवं कारणों का विवरण" का भाग ही सर्वथा अर्थहीन हो गया है. प्रस्तुत विधेयक द्वारा निरस्त किये जाने वाले अधिनियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा भी नहीं की गई है.

प्रस्तुत विधेयक केन्द्रीय शासन द्वारा प्रस्तावित एतद् संबंधी विधेयक के माडल ड्राफ्ट से एक पृथक् स्वरूप का है. उक्त विधेयक चिकित्सा विज्ञान की केवल एक शाखा से संबंधित रखा गया है जब कि केन्द्रीय शासन के माडल ड्राफ्ट के अनुसार उसे उस रूप में स्वरूपबद्ध किया जाना था जिससे कि वह चिकित्सा विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू हो पाता. इससे विभिन्नताएं कम होतीं तथा चिकित्सा विज्ञान संबंधी कठिनाइयों, समस्याओं और आवश्यकताओं को एक साथ बैठकर हल किया जा सकता था तथा समझा जा सकता था. स्टेट मेडिकल रजिस्टर में चिकित्सा विज्ञान की पृथक् पृथक् शाखाओं में रजिस्टर्ड व्यक्तियों की पृथक्-पृथक सूची बनाई जा सकती थी. और यह प्रयोजन केवल एक

रजिस्टर से ही हल हो सकता था. प्रस्तुत विधेयक यदि माडल ड्राफ्ट में प्रदर्शित रूप में बनता तो परिषद आदि के गठन व उसके कार्यों के बारे में चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एक साथ लाया जाकर एक रूप में कार्य करने तथा एक इकाई द्वारा कार्य सुचारु और सुविधापूर्वक किये जाने का अवसर था. आज इस हेतु एलोपेथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद इस प्रकार तीन विभिन्न इकाइयां रहेगी.

प्रस्तुत विधेयक के कतिपय खंडों को देखने से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यदि विधेयक एक स्वरूप का होता तो वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सरलता होती तथा समस्त चिकित्सा व्यवसायियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई या समस्या न होती.

विधेयक के खंड २ में, उपखंड (ङ) के पद (दो) का निरसित किया जाना भी युक्तियुक्त नहीं है. ऐसा करने से वे समस्त उपाधिधारी जो किसी मान्य विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान संबंधी उपाधि प्राप्त करते हैं परिषद की इच्छा पर छोड़ दिये गये हैं. यदि परिषद चाहे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के योग्य समझे और यदि वह न चाहे तो न समझे यह अत्यन्त आपत्तिजनक तथा उन-उन स्नातकों के मूलभूत अधिकारों का हनन है. उक्त खंड के अधीन मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को सम्मिलित किया जाना वांछित था जो नहीं किया गया है और यह अधिकार खंड २ में, उपखण्ड (ङ) के पद (दो) को निरसित कर छीना गया है अतः उसे रखा जाना अनिवार्य है जिससे मिश्रित प्रणाली के वे समस्त चिकित्सक जिन्होंने विधिवत रूप से मान्य विश्वविद्यालयों, मान्य बोर्डों या विश्वविद्यालय की फेकल्टीज से उपाधियां प्राप्त की हैं रजिस्टर्ड हो सकें. इन्हें माडर्न मेडिसिन समस्त शिक्षण के अनुपात से ७० प्रतिशत से अधिक पढ़ाया जाता है.

इनकी शिक्षण संस्थाओं में क्रियात्मक परीक्षाओं की सुविधायें पैथालाजिकल लेबोरेटरीज एक्स-रे विज्ञान, डि-सेक्शन हाल, इनडोर तथा आउट-डोर हास्पिटल की सभी सुविधाएं या व्यवस्थाएं उपलब्ध है.

इनके पाठ्यक्रम को समन्वयात्मक दृष्टिकोण से देखने पर विदित होगा कि एलोपेथी के कालेजों के स्नातकों के समकक्ष एलोपेथी के विषय का अध्ययन कराया जाता है.

इनकी प्रवेश योग्यता न्यूनतम रूप में इन्टर साइन्स रखी है. यही योग्यता एम. बी. बी. एस. कोर्स के लिए भी प्रवेशार्थ है.

मान्य मेडिकल प्रोफेशन की सम्मति के अनुसार भी इनका शिक्षण एलोपेथी में एम. बी. बी. एस. से कुछ ही कम माना गया है.

मध्यप्रदेश में ड्रग रूल्स के तहत शासन ने इनकी योग्यता से संतुष्ट होकर इन्हें ड्रग रूल्स के प्रावधानों के अन्तर्गत आर. एम. पी. घोषित किया है.

अन्य प्रांतों में भी उक्त चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को आर. एम. पी. मानकर तदनुरूप समस्त अधिकार व सुविधाए दे रखी हैं.

केन्द्रीय फेमिली प्लानिंग तथा जीवन बीमा निगम द्वारा उक्त स्नातकों को क्रमशः मेडिकल आफिसर तथा मेडिकल एक्जामिनर के रूप में योग्य माना है तथा तदनुरूप नियुक्तियां दी हैं.

विदेशों के विश्वविद्यालय में उक्त स्नातकों को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए योग्य माना है तथा इस रूप में अनेकों उक्त स्नातक विदेशों से उपाधि प्राप्त कर चुके हैं.

चीनी आक्रमण के दौरान नेफा सीमांत पर उक्त स्नातकों को मेडिकल आफिसर के रूप में सेवा करने के लिए पात्र समझा है व अवसर दिया है.

उत्तर प्रदेश मेडीकल कौंसिल में भी उक्त श्रेणी के स्नातकों को कौंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन किये जाने का प्रावधान किया है साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पी. एम. एस. टू का वेतनमान देने का निश्चय किया है. अतः इन्हें प्रस्तुत विधेयक के खंड २ के उपखंड (ङ) में सम्मिलित किया जाना वांछित है.

परिषद के गठन में खंड ४ में, उपखंड (१) के पद (ग) संशोधित में राज्य शासन को ५ व्यक्तियों को मनोनीत करने का जो अधिकार दिया गया है वह आज की प्रजातांत्रिक प्रणाली में वांछित नहीं है. ~~जो अधिकार दिया गया है वह आज की प्रजातांत्रिक प्रणाली में वांछित नहीं है.~~ अतः यह प्रावधान किया जाना वांछित है कि सभी सदस्य निर्वाचित किये जायं. खंड १४(३) पूरी निरसित की गई है जो ठीक नहीं है. इसमें केवल असायलम, इन्फरमरी व डिस्पेंसरी शब्द हटाये जाने थे.

मध्यप्रदेश राज्य में वर्षों से एलोपेथी चिकित्सा व्यवसाय करने वालों को इस विधेयक के तहत आर. एम. पी. घोषित किया जाना वांछित था और वह स्थिति विधेयक की धारा १२ में तदनुरूप प्रावधान कर ही लाई जा सकती थी. किन्तु ऐसा न कर समस्त उन चिकित्सा व्यवसायियों के अधिकारों का हनन किया गया है जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तथा वर्षों से चिकित्सा करते चले आ रहे हैं.

अतः विधेयक के खंड २१ में कुछ प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए रखे गए हैं जो विधेयक के अन्य खंडों के तहत रजिस्ट्रेशन के लिये पात्र नहीं हैं. प्रावधान के अनुसार परिषद् ऐसे व्यक्तियों की सूची बनायेगी जो चिकित्सा व्यवसायी हैं किन्तु खंड १२ या अन्य दूसरे प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन के लिये पात्र नहीं हैं, परन्तु ऐसे सूचिबद्ध चिकित्सकों को आर. एम. पी. नहीं माना गया है न उन्हें वे समस्त अधिकार (प्रिविलेजेज) व सुविधायें दी गई हैं जो आर. एम. पी. श्रेणी को है. अतः खंड १२ में निम्नाशय का वाक्य जोड़ा जाय:—

"प्रत्येक व्यक्ति जो यद्यपि अन्यथा रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अर्ह न हो इस विधान के प्रभावशील होने के दिनांक से एक वर्ष के काल में परिषद् या विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित समिति को तुष्टि कराकर यह प्रमाणित कर दे कि वह इस विधान के तत्काल प्रभावशील होने से तत्काल पूर्व दस वर्षों से एलोपथी का नियंत्रित या नियमित व्यवसाय करता रहा है."

इस प्रकार का प्रावधान म. भा. चिकित्सा पंजीयन अधिनियम, १९५४ के परिशिष्ट "ब" में रखा गया है.

प्रस्तुत विधेयक के खंड २१ के द्वारा केवल चिकित्सा के अधिकार देना व अन्य सुविधाओं से वंचित करना युक्तियुक्त नहीं है तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक जो निरंतर दस वर्ष से उस चिकित्सा पद्धति के साथ एलोपैथी में भी चिकित्सा कर रहे हैं आर. एम. पी. माना जाना था जो यहां नहीं किया गया है. क्योंकि इस प्रकार के अधिनियमों के प्रभावशील होने के पूर्व अन्य बहुत से राज्यों में जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली व त्रावणकोर कोचीन प्रमुख हैं, उन समस्त चिकित्सा व्यवसायियों को जो इस प्रकार के अधिनियम के प्रभावशील होने के ठीक दस वर्ष या पांच वर्ष पूर्व से चिकित्सा कर रहे थे वे रजिस्ट्रेशन के पात्र माने गये जो कि एक निर्धारित अवधि में किया जाना अभिप्रेत था. उक्त व्यवसायियों को आर. एम. पी. माना गया. अतः प्रस्तुत विधेयक में यह प्रावधान आवश्यक है कि ऐसे सभी चिकित्सा व्यवसायी जो इस अधिनियम के प्रभावशील होने के ठीक दस वर्ष पूर्व चिकित्सा व्यवसाय कर रहे थे तथा उनके इस प्रकार के आवेदन पर तथा परिषद या प्राधिकृत-समिति को समाधान कराने पर कि वह एक निश्चित काल से जो दस वर्ष से कम का न हो चिकित्सा कर रहा है, रजिस्टर्ड किया जावेगा. तथा उन्हें आर.एम.पी. माना जाकर तदनुरूप समस्त सुविधाएं दी जावेगी. ऐसा किया जाना मध्यप्रदेश राज्य के उन समस्त चिकित्सा व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करना है जो वर्षों से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं तथा विभिन्न अधिनियमों के तहत रजिस्ट्रेशन पाने व आर. एम. पी. श्रेणी में रखे जाने के पात्र होते हुये भी उस सुविधा से वंचित रखे गये हों. ऐसा म. भा. चिकित्सा व्यवसायी पंजीयन अधिनियम, १९५४ के तहत भी किया जाना था जो शासन द्वारा उपेक्षा के कारण नहीं किया गया. म. भा. इंडियन मेडिसिन एक्ट, फार्मेसी एक्ट, व डेन्टिस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसे अधिनियमों में भी निश्चित काल से चिकित्सा व्यवसाय क रहे व्यक्तियों को उनके अनुभव को आधार पर रजिस्ट्रेशन किये जाने का पात्र माना है.

देश में तथा विदेशों में भी मेडिकल प्रेक्टिशनर एक्ट के सर्वप्रथम लागू किये जाने के समय उस सम एक निश्चित अवधि से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले अनुभवी व्यक्तियों को प्रारंभ में रजिस्टर्ड कि था जो यहां भी अभिप्रेत हैं. केवल सूचिबद्ध किया जाना पर्याप्त नहीं है. साथ ही खंड १२ तथा २ (२) में शुल्क १०० रुपये रखा गया है वह ठीक नहीं है. दोनों स्थानों पर शुल्क रु. ४० रखा जान वांछित है.

विभिन्न चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण अधिनियमों के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति भी विभिन्न राज्यों में आ एम. पी. माने गये हैं. यहां भी उस प्रकार का प्रावधान उक्त विधेयक में वांछित है. प्रस्तुत विधेय में इसी दृष्टि से अन्य प्रावधान खंड २१ में किये जाने वांछित है.

उक्त खंडों के संशोधन, प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधनों, उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण व निष्प्रभावी होने की स्थिति में, तथा केन्द्रीय सरकार के माडल ड्राफ्ट की भावना के अनुरूप विधेयक न होने से हमारा यह निश्चित मत है कि उक्त विधेयक का जनमत हेतु पुनः परिवहन किया जाना आवश्यक है तथ परिवहन के पश्चात् सदन जैसा भी निश्चय करे आगामी प्रक्रिया हो.

आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा.

(१) लक्ष्मीनारायण पांडेय

भोपाल,
दिनांक, १२-८-६४.

(२) गोवर्धन शर्मा

(तीन)

मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन बिल पर गहराई से विचार करने का मौका मिला. किन्तु निम्न कित मुद्दों पर मैं बहुमत की राय से सहमत नहीं हो सका. अतः यह विमति टिप्पणी दे रहा हूं.

१. मौजूदा विधेयक निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुकूल नहीं है.

२. आयुर्वेदिक, यूनानी तथा मिश्रित प्रणाली आदि के संबंध में इसके साथ एक ही विधेयक लान चाहिए था. यह विधेयक इस प्रकार से केन्द्र द्वारा प्रसारित "माडल बिल" के भी अनुरूप नहीं है देशी औषधि प्रणालियों के साथ यह न्यायोचित व्यवहार नहीं है. जब तक और विधेयक पास नहीं होत तब तक बहुत से चिकित्सकों को केवल शासन की कृपा पर निर्भर करना होगा.

चंद्रप्रताप तिवारी,
१३-८-६४.

(As amended by the Select Committee)

MADHYA PRADESH BILL

No. 38 OF 1962.

[Omissions made by the Select Committee are enclosed in square brackets and additions made by by are under line].

THE MADHYA PRADESH MEDICAL PRACTITIONERS REGISTRATION BILL, 1962.

TABLE OF CONTENTS

Clauses.

1. Short title and extent.

2. Definitions.

3. Incorporation of Medical Council.

4. Constitution of Council.

5. Mode of election.

6. Restriction on nomination or membership.

7. Term of office of President, Vice-President and members of Council.

8 Meetings of Council.

[9. Payment of allowances to President, Vice-President and members of Council.]

9. Payment of salary and allowances to President, Vice-President and Members of Council.

10. Registrar and other officers.

11. State Medical Register.

12. Persons who may be registered and registration fee.

13. Registration of additional qualifications.

14. Privileges of registered practitioner.

15. Power of Council to prohibit entry or to direct removal from State Medical register.

16. Alteration of State Medical Register by Council.

17. Procedure in equiries.

18. Appeal against decision of Council.

[19. Disposal of fees.]

19. Council Fund.

19A. Objects to which Council Fund may be applied.

20. Provisional registration for clinical practice.

21. Maintenance of list of persons in practice other than those eligible for registration or deemed to be enrolled on State Medical Register.

Clauses.

22. Prohibition from practice except as provided in this Act or Central Act, 102 of 1956.

23. Control by State Government.

24. Information to be furnished by Council and publication thereof.

25. Penalty.

26. Cognizance of offence.

27. Vacancy not to invalidate proceedings etc.

28. Protection of action taken in good faith.

29. Power to make rules.

30. Power to make regulations.

31. Consequences to ensue on establishment of Council under section 3.

32. Repeal.

Schedule.

(As amended by the Select Committee)

MADHYA PRADESH BILL

No. 38 OF 1962.

[Omissions made by the Select Committee are enclosed in square brackets and additions made by by are under line].

THE MADHYA PRADESH MEDICAL PRACTITIONERS REGISTRATION BILL, 1962

A Bill to consolidate and amend the laws relating to registration of practitioners of medicine (Allopathy) in Madhya Pradesh and to make provisions for constitution of the Medical Council for the State and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the [Thirteenth] Fiteenth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act, may be called the Madhya Pradesh Medical Practitioners Registration Act, [1962] 1964.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "approved institution" means a hospital, health centre or other such institution in which persons may undergo the training, if any, required by his course of study before the award of any medical qualification to him ;

(b) "council" means the State Medical Council established under section 3;

(c) "Indian Medical Register" means the register maintained under section 21 of the Indian Medical Council Act, 1956;

(d) "medicine" means modern scientific medicine known as allopathy system in all the branches and includes surgery and obstetrics, but does not include veterinary medicine and surgery;

(e) "recognised medical qualification" means any of the qualificaions in medicine—

(i) included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956); [or].

[(ii) conferred by any of the Universities established by law in the State;]

(f) "registered practitioner" means any person enrolled on the State Medical Registrar or deemed to have been enrolled under the provisions of this Act;

(g) "regulation" means a regulation made under section 30;

(h) "State Medical Register" means a register maintained under section 11.

3. (1) The State Government shall, as soon as may be, establish, by a notification a Medical Council with effect from such date as may be specified therein.

Incorporation of Medical Council.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Medical Council and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property both movable and immovable, and subject to the provisions made under this Act to transfer any property held by it and to contract and do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue or be sued in its corporate name.

[4. (1) The Council shall consist of the following members, namely:—

Constitution of council

(a) President to be nominated by the State Government;

(b) four members to be elected from amongst themselves by registered practitioners other than those referred to in clause (c) and are resident in Madhya Pradesh;

(c) two members to be elected from amongst themselves by registered practitioners who possess the medical qualifications included in the Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), and are resident in Madhya Pradesh;

(d) six members to be nominated by the State Government.

(2) The name of every person nominated or elected under sub-section (1) shall be published in the Gazette.

(3) The Vice-President of the Council shall be elected by the members of the Council from amongst themselves.]

4. (1) The Council shall consist of—

Constitution of Council.

(a) the President and Vice-President;

(b) eight members to be elected by registered practitioners from amongst themselves;

(c) five members to be nominated by the State Government.

(2) The President and the Vice-President of the Council shall be elected by the members from amongst themselves or from amongst the registered practitioners in such manner as may be prescribed:

Provided that the first President and the first Vice-President shall be nominated by the State Government.

(3) Where a registered practitioner who is not a member of the council is elected as a President or a Vice-President, the total number of members of the Council under clauses (b) and (c) of sub-section (1) shall be deemed to have been increased so as to include the President or the Vice-President so elected and such President or Vice-President shall be deemed to be a member of the Council for the purposes of the Act.

(4) The name of every person elected or nominated under sub-section (1) or sub-section (2) shall be published in the Gazette and the President, the Vice-President and the Members shall enter and shall, for the purposes of their term, be deemed to have entered upon their respective offices with effect from the date of such publication.

Mode of election.

5. (1) An election under clause (b) [or (c)] of sub-section (1) of section 4 shall be conducted by the Council in accordance with such rules as may be made by the State Government in this behalf, and any rules so made may provide that pending the preparation of the State Medical Register in accordance with the provisions of this Act, the members referred to in the [said clauses] said clause may be nominated by the State Government instead of being elected as provided therein [:].

[Provided that the term of office of such member shall not exceed three years.]

(2) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government within such period as may be prescribed and the decision of the State Government thereon shall be final.

Restriction on nomination or membership.

6. (1) No person shall be eligible for election or nomination under section 4 unless he is a registered practitioner and resides within the State.

[(2) No person may at the same time serve as a member in more than one capacity.]

Term of office of President, Vice-President and members of Council.

7. [(1) The President shall hold office for a term not exceeding five years from the date of his nomination.]

(1) The term of the office of the President and the Vice-President shall be three years with effect from the date they enter upon their respective offices under sub-section (4) of section 4:

Provided that the term of office of the outgoing President or the Vice-President shall be deemed to extend to and expire on the day on which his successor enters upon the said office.

[(2) The Vice-President shall hold office for a term of one calendar year.]

[(3) Subject to the provisions of this section a member other than the one nominated under section 5 shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination or until his successor has been duly elected or nominated, whichever is longer.]

(3) Subject to the provisions of this section a member shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office as provided in sub-section (4) of section 4 or until his successor enters upon his office, whichever is longer.

(4) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if he is absent without excuse sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings, of the Council or, if he ceases to be a registered practitioner, or if he ceases to reside in this State.

(5) A casual vacancy in the Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

(6) Where the said term of [five] three years is about to expire in respect of any member, a successor may be elected or nominated at any time within three months before the said term expires but he shall not assume office until the said term has expired.

Meetings of Council.

8. (1) The Council shall meet at least once in each year at such time and place as may be appointed by the Council.

(2) Unless otherwise provided by regulations, [seven] five members of the Council shall form a quorum and all acts of the Council shall be decided by the majority of the members present and voting. In the case of an equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

[Payment of allowances to President, Vice-President and members of Council.]

[9. There shall be paid to the President, Vice-President and members of the Council such allowances for attending meetings as the Council may, by regulations determine.

Payment of salary and allowances to President, Vice-President and Members of Council.

9. (1) The first President and the first Vice-President shall, if the State Government so directs, be the whole time salaried officers of the Council and their emoluments and other conditions of service shall be such as may be prescribed by regulations.

(2) There shall be paid to the President and the Vice-President other than those covered under sub-section (1) and members of the Council such allowances for attending meetings as the Council, may by regulations, determine.

(3) The Vice-President shall perform such duties and exercise such owers of the President as may be assigned to him by the President.

Registrar and other officers.

10. [(1) The Council shall appoint a Registrar who shall act as Secretary of the Council.]

(1) The Council shall appoint a Registrar who shall act as Secretary and Treasurer of the Council.

[(2) The Council shall appoint a Treasurer who shall exer-ise general control over the funds of the Council:

Provided that pending the appointment of a Treasurer, the Registrar may, if so required by the Council, act as Treasurer for a period not exceeding one year.]

(3) The Council may employ such other persons as it may deem necessary to carry out the purposes of the Act.

(4) The qualifications, the conditions of appointment and service and scale of pay as respects the Registrar [and the Treasurer] shall be such as may be prescribed and as respects the other employees, shall be such as the Council may, with the previous sanction of the State Government, determine.

(5) The Council shall require and take from the Registrar [Treasurer] or from any other employee such security for the due performance of his duties as the Council deems necessary.

(6) The Registrar [the Treasurer] and other employees appointed by the Council under this section shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

State Medical Register.

11. (1) The Council shall cause to be maintained in the prescribed manner a register of Medical practitioners resident in Madhya Pradesh to be known as the Medical Register.

(2) It shall be the duty of the Registrar of the Council to keep the State Médical Register in accordance with the provisions of the Act and of any orders made by the Council, and from time to time revise the register in the prescribed manner and publish it in the Gazette.

(3) Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), and may be proved by a copy published in the Gazette.

12. Every person possessing recognised Medical qualification shall be eligible for enrolment on the State Medical Register on furnishing to the Registrar proof of such qualification and on payment of a fee of [twenty rupees] one hundred rupees

Persons who may be registered and registration fee.

13. If any person [who is not enrolled on the Indian Medical Register but] whose name is entered in the State Medical Register obtains any title, diploma or other qualification for proficiency in sanitary science, public health or medicine, which is a recognised medical qualification, he shall, on application made in this behalf in the prescribed manner and on payment of a fee of five rupees, be entitled to have an entry stating such other title, diploma or other qualification made against his name in the State Medical Register either in substitution for or in addition to any entry previously made.

Registration of additional qualifications.

14. (1) Subject to the condition and restrictions laid down in this Act or the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), regarding medical practice by persons possessing certain recognised qualifications, every person whose name is for the time being borne on the State Medical Register shall be entitled, according to his qualifications to practise within the State as a medical practitioner and to recover in due course of law in respect of such practice, any expenses or charges in respect of medicaments or other appliances or any fees to which he may be entitled.

Privileges of registered practitioner.

(2) No certificate required by or under any law to be given by medical practitioner shall be valid unless signed by a registered practitioner.

(3) No person other than a registered practitioner or a medical practitioner borne on the Indian Medical Register shall be eligible to hold any appointment as physician, surgeon or Medical Officer in any Hospital, asylum, infirmary, dispensary or any other Medical institution or medical officer of health or any other allied branch of medicine.

15. The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise, prohibit the entry in, or order the removal from the State Register the name of any person—

Power of Council to prohibit entry or to direct removal from State Medical register.

(a) who has been sentenced by a Criminal Court to imprisonment for an offence indicating in the opinion of the Council such a defect in the character as would render the enrolment or continuance of his name in the register undesirable ; or

(b) whom the Council after inquiry, at which opportunity has been given to him to be heard in person or by Counsel and which may at the discretion of Council be held in camera, found quilty by a majority of two-thirds of the members present and voting at the meeting of infamous conduct in any professional respect.

Alteration of State Medical Register by Council.

16. (1) The Council may, if it considers it so to do, and after giving due notice to the person concerned and enquiring into his objections, if any, order that any entry in the register which shall be proved to the satisfaction of the Council to have been fradulently or incorrectly made or brought about, be cancelled or amended.

(2) The Council may direct the removal altogether, or for a specified period from the State Medical Register of the name of any registered practitioner for the same reasons for which registration may be prohibited by the Council under section 15.

(3) The Council may direct that any name removed under sub-sections (2) shall be restored subject to such conditions, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in enquiries.

17. For the purpose of any enquiry under [section 12 or section 15] section 12, 15, 16 or 21 the council or the committee authorised by rules made under section 29 shall be deemed to be a Court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), and shall exercise all the powers of a Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), and such enquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 20 of the said Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850).

Appeal gainst decision of Council.

18. (1) An appeal shall lie to the State Government against every decision of the Council under section 12 or section 15.

(2) Every appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months from the date of the receipt by the party concerned of a copy of such decision..

Disposal of fees.

[19. All fines realised under this Act and all money received by the Council under this Act shall be applied for the purposes of this Act, or the rules or the regulations made thereunder.]

Council Fund.

19. (1) The Council shall establish a fund to be called the Council Fund.

(2) The following shall form part, or be paid into, the Council Fund:—

(a) any contribution or grant by Central or State Government;

(b) the income of the Council from all sources including income from fees and fines;

(c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;

(d) all other sums received by the Council.

19-A. The Council Fund shall be applicable to the follow- objects :—

Objects to which Council Fund may be applied.

(a) to the repayment of debts incurred by the Council for the purposes of this Act and the rules and regulations made thereunder;

(b) to the expenses of any suit or proceeding to which the Council is a party;

(c) to the payment of the salaries and allowances of the officers and servants of the Council;

(d) to the payment of the salaries and allowances to the office-bearers of the Council;

(e) to the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Act and the rules and the regulations made thereunder;

(f) to the incurring of any other expenses for the promotion and development of medical education, research and training, declared by the Council to be in the general interest of medical profession.

Provisional registration for clinical practice.

20. If the courses of study to be undergone for obtaining a recognised medical qualification include a period of training after a person has passed the qualifying examination and before such qualification is conferred on him, any such person shall, on application made by him in this behalf, be granted provisional registration in the State Medical Register in order to enable him, to practise medicine in an approved institution for the period aforesaid.

Maintenance of list of persons in practice other than those eligible for registration or deemed to be enrolled on State Medical Register.

21. [(1) The Council shall cause to be prepared a list of persons practising medicine in the State immediately before the date specified under sub-section (1) of section 3 (hereinafter in this section referred to as the "specified date") as are not eligible for registration under the Act or are not deemed to be enrolled on the State Medical Register under clause (c) of section 31.]

(1) The Council shall cause to be prepared a list of persons—

(a) who were registered in pursuance of the provisions of any of the Acts repealed under section 32 but do not possess any recognised medical qualifications;

(b) who have been in regular practice of medicine in the State for a period of not less than ten years, immediately before the date specified under sub-section (1) of section 3 (hereinafter in this section

referred to as the specified date), and such practice has been the sole means of earning their livelihood and who are not eligible for registration under the Act or are not deemed to be enrolled on the State Medical Register under clause (c) of section 31;

(c) who possess any of the qualifications specified in the Schedule and who have been practising medicine in the State immediately before the dates specified under sub-section (1) of section 3;

(d) who are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and possess any of the qualifications other than recognised medical qualifications awarded by any University established by law in the State, or by any other institution and recognised by the Council in this behalf:

Provided that no recognition shall be given unless the Council is of the opinion that such qualifications are awarded after appropriate institutional training and the curriculum for such qualifications includes subjects of medicine.

(2) Any practitioner falling under sub-section (1) and desirous of getting his name incorporated in the list referred to therein shall submit an application in the prescribed form together with [the prescribed fee] a fee of one hundred rupees to the Registrar within six months from the specified date:

Provided that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, extend the aforesaid period by a further period not exceeding six months.

[(3) The council, after making such enquiry as it deems fit to make and on being satisfied that the applicant was practising medicine immediately before the specified date shall incorporate the name of the applicant in the list.]

(3) The Council or the Committee authorised by rules made under section 29 shall, after making enquiry—

(a) with respect to the persons falling under clause (a) of sub section (1), as to the fact of their registration in pursuance of the provisions of any of the Acts repealed under section 32;

(b) with respect to the persons falling under clause (b) of sub-section (1) as to the fact of their practising medicine in the State as stated in the said clause;

(c) with respect to the persons falling under clause (c) of sub-section (1) as to the fact of their possession of qualifications specified in the Schedule;

(d) with respect to the persons falling under clause (a) of sub-section (1), as to the fact of award of quali fication by the University or Institution specified in the said clause,

and on being satisfied that the applicant fulfills the requirements set out in clause (a), (b), (c) or (d) of sub-section (1), as the case may be, shall in corporate the name of the applicant in the list.

[(4) The provisions of section 18 shall apply to any order passed by the Council under sub-section (3) as it applies to an order under section 12 or section 15.]

(4) An appeal shall lie from every order passed under sub-section (3)—

(a) if such order is passed by the Committee to the Council;

[(b) if such order is passed by the Council to the State Government;

(4-a) A second appeal shall lie from every order passed by the Council in first appeal under sub-section (4) to the State Government:

Provided that no second appeal shall lie except on the ground that the order is contrary to law.

(4-b) Every appeal under sub-section (4) and every second appeal under sub-section (4-a) shall be preferred within three months from the date of the receipt by the party concerned of a copy of the order.

(5) The person whose name is included in the list prepared under this section shall be entitled to all the privileges of a registered practitioner specified in [section 14] sub-section (1) of section 14.

(6) The Registrar shall, [as soon as may be after the expiry of the period specified in sub-section (2) or such further period as may be extended thereunder], publish the list of persons prepared under sub-section (1) in the Gazette and the publication of such list shall be the conclusive evidence of the eligibility of the person included therein to practice medicine in pursuance of the provisions of this section.

22. Save as provided in this Act or the Indian Medical Council Act, 1956, no person shall practise or hold himself out, whether directly or indirectly as practising medicine within the State.

Prohibition from as provided in this Act or central 102 of 1956.

23. If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act or has failed to perform any of the duties conferred upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the

Control by State Government.

particulars thereof to the Council, and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as the State Government may fix in this behalf the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such person and for such period not exceeding two years as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new Council.

Information to be furnished by Council and publication thereof.

24. (1) The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts, and other information to the State Government as the State Government may require.

(2) The State Government may publish in such manner as it may think fit, any report, copy, abstract or other information furnished to it under this section.

Penalty.

[25. (1) If any person whose name is not enrolled on the State Medical Register falsely pretends that it is so enrolled or uses in connection with his name or title any words or letters representing that his name is so enrolled, he shall, whether any person is actually deceived by such representation or not, be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(2) Any person who contravenes the provisions of section 22 shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.]

Penalty.

25. (1) If any person whose name is not enrolled on the State Medical Register or is not incorporated in the list maintained under section 21, falsely pretends that it is so enrolled or enlisted or uses in connection with his name or title any words or letters representing that his name is so enrolled or enlisted, he shall, whether any person is actually deceived by such representation or not, be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Any person who contravenes the provisions of section 22 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Cognizance of offence.

26. (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon complaint in writing made by the Registrar or any other officer authorised by the Council in this behalf by general or special order.

(2) No court inferior to that of a magistrate of first class shall try any offence punishable under this Act.

Vacancy not to invalidate proceedings, etc.

27. No act of the Council shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or defect in the constitution of; or

(b) any defect in the election or nomination of a person acting as a member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Protection of action taken in good faith.

28. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Council or any committee thereof, or any officer or servant of the Government or the Council for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules.

29. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Assembly.

Power to make regulations.

30. The Council may, with the previous sanction of the State Government, make regulations generally to carry out the purposes of this Act, and, without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for—

(a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its accounts.

(b) the summoning and holding of meetings of the Council, the times and places where such meetings are to be held, the conduct of business thereat;

(c) the registration of members of the Council;

(d) the powers and duties of the President and Vice-President;

(e) the mode of appointment of Committee, the summoning and holding of meetings, and the conduct of business of such Committees;

(f) the tenure of office, and the powers and duties and other conditions of service of the Registrar and other officers and servants of the Council;

[(g) the particulars to be stated, and the proof of qualificationsto be given in application for registration under this Act;]

(g) the particulars to be stated, and the proof of qualifications to be given in application for registration under this Act or for incorporation of the name in the list maintained under section 21;

(h) the fees to be paid on applications and appeals under this Act;

(i) any matter for which under this Act provision may be made by regulations.

Consequences to ensue on establishment of Council under section 3.

31. As from the date specified for the establishment of the Council in the notification under sub-section (1) of section 3 the following consequences shall ensue, namely:—

[(a) the Mahakoshal Medical Council, the Madhya Bharat Medical Council and the Medical Council established under section 2 of the Medical Practitioners Registration Act, 1935 shall stand dissolved;]

(a) the Mahakoshal Medical Council and the Madhya Bharat Medical Council shall stand dissolved;

(a-1) the Medical Council established under section 2 of the Medical Practitioners Registration Act, 1935 (Bhopal Act VII of 1935), shall, in relation to medical practitioners in allopathic system of medicine on its register cease to exercise jurisdiction;

(b) all assets and liabilities of the Council referred to in clause (a) shall belong to and be deemed to be the assets and liabilities of the Council established under section 3;

(c) all such registered practitioners registered under any of the Acts repealed under section 32 or the Rajasthan Medical Act, 1952 and residing in the State and possessing recognised medical qualifications on the commencement of this Act shall be deemed to be enrolled as registered practitioners in the State Medical Register under this Act;

(d) all employees belonging to or under the control of the Councils referred to in clause (a) immediately before the date aforesaid shall be deemed to be the employees of the Council established under section 3:

Provided that the terms and conditions of service of such employees shall not, until altered by the Council with previous sanction of the State Government be less favourable than those admissible to them before such date:

Provided further that no sanction under the foregoing proviso shall be accorded by the State Government until the person affected thereby is given a reasonable opportunity of being heard;

(e) all records and papers belonging to the Councils referred to in clause (a) shall vest in and be transferred to the Council established under section 3.

32. As from the date specified for the establishment of the Council under sub-section (1) of section 3, the Central Provinces and Berar Medical Registration Act, 1916 (1 of 1916), and the Madhya Pradesh Statutory Bodies (Regional Constitution) Act, 1956 (XVII of 1956), in so far as it relates to the said Act, the Madhya Bharat Medical Practitioners Registration Act, 1954 (16 of 1954), and the Medical Practitioners Registration Act, 1935 (Bhopal Act VII of 1935), in so far as it relates to registered practitioners practising medicine as defined in clause (d) of section 2 shall stand repealed. Repeal.

SCHEDULE

See section 21 (1) (c)

1. A. M. S. or A. B. M. S. of Benaras University
2. B.I.M.S. or A.B.M.S. of U. P. Board, Lucknow
3. B.A.M.S. of Sagar University.
4. B.U.M.S. of Aligarh University.
5. A.V.M.S. of Board of Indian Medicine, Madhya Bharat, Gwalior.
6. B.I.M.S. of Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Delhi State.

(प्रवर समिति द्वारा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

(१९६२ का क्रमांक ३८)

[प्रवर सामात द्वारा निकाले गये अंश चौकोन कोष्ठक में दिये गये हैं और
ारा जोड़े गये या परिवर्तित अंश के नीचे लकीर खींची गई है.]

मध्यप्रदेश चिकित्सा-व्यवसायी-पंजीयन विधेयक, १९६४

खण्ड — विषय-सूची

१ संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

२ परिभाषायें

३ चिकित्सा परिषद् का निगमन

४ परिषद् का गठन

५ निर्वाचन का तरीका

६ मनोनयन या सदस्यता संबंधी निर्बन्धन

७ परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि

८ परिषद् की बैठक

[९ परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भत्ते का चुनाव]

९ परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन तथा भत्तों की देनगी.

१० रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी

११ राज्य चिकित्सा पंजी

१२ पंजीयित किये जा सकने वाले व्यक्ति और पंजीयन फीस

१३ अतिरिक्त अर्हताओं का पंजीयन

१४ पंजीयत चिकित्सा व्यवसायियों के विशेषाधिकार

१५ राज्य चिकित्सा-पंजी में नाम दर्ज किये जाने पर रोक लगाने तथा उसमें से नाम हटाने की परिषद् की शक्ति.

१६ परिषद् द्वारा राज्य चिकित्सा-पंजी में परिवर्तन

१७ जांच की कार्य प्रणाली

१८ परिषद् के निर्णय के विरुद्ध अपील

[१९ फीस की व्यवस्था]

१९ परिषद् निधि

१९-क उद्देश्य जिनके लिये परिषद् निधि की प्रयुक्ति की जा सकेगी

२० नैदानिक चिकित्सा-व्यवसाय के लिये अन्तिम पंजीयन

२१ उन व्यक्तियों को छोड़ जो पंजीयित होने के पात्र हों या जिनके नाम राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज किये गये समझे गये हों, चिकित्सा-व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों की सूची रखना.

२२ अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम, १६५६ का क्रमांक १०२ में उपबंधित स्थिति को छोड़ व्यवसाय करने पर रोक.

२३ राज्य शासन का नियंत्रण

२४ परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी तथा उसका प्रकाशन

२५ शास्ति

२६ अपराध का संज्ञान

२७ रिक्त स्थान रहने से कार्यवाहियां आदि अवैध नहीं होंगी

२८ सद्भाव से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

२६ नियम बनाने की शक्ति

३० विनियम बनाने की शक्ति

३१ धारा ३ के अन्तर्गत परिषद् की स्थापना के फलस्वरूप होनेवाले परिणाम

३२ निरसन

अनुसूची

(प्रवर समिति द्वारा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

(१९६२ का क्रमांक ३८)

[प्रवर समिति द्वारा निकाले गये अंश चौकोन कोष्ठक में दिये गये हैं और उसके द्वारा जोड़े गये या परिवर्तित अंश के नीचे या बाजू में लकीर खींची गई है.]

मध्यप्रदेश चिकित्सा-व्यवसायी-पंजीयन विधेयक १९६२

मध्यप्रदेश में चिकित्सा (एलोपेथी) व्यवसायियों के पंजीयन संबंधी विधियों को समेकित तथा संशोधित करने और राज्य के लिये चिकित्सा-परिषद् के गठन तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये विधेयक.

भारतीय गणतंत्र के [तेरहवें] पन्द्रहवें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियमित किया जाय :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.

१. (१) इस अधिनियम को मध्यप्रदेश चिकित्सा-व्यवसायी-पंजीयन अधिनियम, [१९६२] १९६४ कहा जाय.

(२) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में यदि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तो—

(क) "अनुमोदित संस्था" से आशय चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र या ऐसी अन्य संस्था से है, जिसमें चिकित्सा अर्हता प्रदान किये जाने के पूर्व कोई व्यक्ति अपने अध्ययन-पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर सके यदि ऐसा कुछ हो,

(ख) "परिषद्" से आशय धारा ३ के अन्तर्गत स्थापित राज्य चिकित्सा परिषद् से है,

(ग) "भारतीय चिकित्सा-पंजी" से आशय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा २१ के अन्तर्गत रखी गई पंजी से है,

(घ) "चिकित्सा" से आशय एलोपेथी पद्धति नामक सभी शाखाओं सहित आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा से है और उसमें शल्य चिकित्सा तथा प्रसाविकी सम्मिलित है, किन्तु पशु-चिकित्सा तथा पशु-शल्य चिकित्सा सम्मिलित नहीं है,

(ङ) "मान्यता प्राप्त चिकित्सा-अर्हता" से आशय चिकित्सा संबंधी ऐसी किसी भी अर्हता से है जो—

(एक) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का क्र. १०२), की अनुसूचियों में सम्मिलित की गई हो, या

[(दो) राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो,]

(च) "पंजीयक व्यवसायी" से आशय ऐसे किसी भी व्यक्ति से है, जिसका नाम इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज किया गया हो या दर्ज किया गया समझा गया हो,

(छ) "विनियम" से आशय धारा ३० के अन्तर्गत बनाये गये विनियम से है,

(ज) "राज्य चिकित्सा पंजी" से आशय धारा ११ के अन्तर्गत रखी गई पंजी से है.

३. (१) राज्य शासन, यथासंभव शीघ्र, एक अधिसूचना द्वारा उसमें निर्दिष्ट तारीख से एक चिकित्सा परिषद् स्थापित करेगा. चिकित्सा परिषद् का निगमन.

(२) परिषद् मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् के नाम से एक निगम निकाय होगी और उसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे चल तथा अचल दोनों ही प्रकार की सपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये उपबन्धों के अधीन, उसके द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति का हस्तान्तरण करने तथा अपने गठन संबंधी प्रयोजनों के लिये आवश्यक संविदा करने तथा अन्य सभी कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह अपने निगमत नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

४ (१) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:— परिषद् का गठन.

(क) अध्यक्ष, जो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किया जायगा,

(ख) चार सदस्य जो मध्यप्रदेश के निवासी और जो खण्ड (ग) में उल्लिखित पंजीयित व्यवसायियों को छोड़ अन्य पंजीयित व्यवसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे,

(ग) पंजीयित व्यवसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जाने वाले ऐसे दो सदस्य, जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, १९५६ (१९५६ का क्र. १०२), की द्वितीय अनुसूची में या तृतीय अनुसूची के भाग दो में दी गई चिकित्सा अर्हताएं प्राप्त हों और जो मध्यप्रदेश के निवासी हों,

(घ) राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जाने वाले ६ सदस्य.

(२) उपधारा १ के अन्तर्गत मनोनीत या निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा.

(३) परिषद् के उपाध्यक्ष का निर्वाचन परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा.

(१) परिषद् निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— परिषद् का गठन.

(क) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,

(ख) आठ सदस्य जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे,

(ग) पांच सदस्य जो राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायगे.

(२) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा अपने में से या रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों में से, ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम उपाध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.

(३) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जो कि परिषद् का सदस्य न हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया हो, वहां उपधारा (१) के खण्ड (बी) तथा (सी) के अधीन परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या में इस प्रकार वृद्धि की गई समझी जायगी कि उसमें इस प्रकार निर्वाचित हुआ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सम्मिलित हो जाय और ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषद् का सदस्य समझा जायगा.

(४) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे प्रकाशन के दिनांक से अपने-अपने पद ग्रहण करेंगे और अपनी पदावधि के प्रयोजनों के लिये, उक्त दिनांक से अपने-अपने पदों को ग्रहण कर चुके हुए समझे जायेंगे.

निर्वाचन का तरीका.

५. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) [या (ग)] के अन्तर्गत, परिषद् द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार निर्वाचन किया जाएगा, जिन्हें राज्य शासन इस संबंध में बनाये और इस प्रकार बनाये गए किन्हीं भी नियमों में यह व्यवस्था हो सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य चिकित्सा पंजी तैयार किए जाने तक [उन खण्डो] उक्त खण्ड में उल्लिखित सदस्यों को, उनमें व्यवस्था किये गये के अनुसार निर्वाचित करने के स्थान पर राज्य शासन द्वारा मनोनीत किया जा सकेगा [:].

[परन्तु ऐसे सदस्य की पदावधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी.]

(२) जब परिषद् के किसी भी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तब वह निर्धारित की जानेवाली अवधि के भीतर राज्य शासन को भेजा जायगा, और उस पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

मनोनयन या सदस्यता संबंधी निर्वन्धन.

६. (१) कोई भी व्यक्ति धारा ४ के अन्तर्गत निर्वाचन तथा मनोनयन के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पंजीयित चिकित्सा व्यवसायी न हो और राज्य में न रहता हो.

[(२) कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में एक ही समय एक से अधिक हैसियत से कार्य नहीं कर सकेगा.]

परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.

७. [(१) अध्यक्ष अपने मनोनयन की तारीख से अधिकं से अधिक ५ वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा]

(१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि, उस दिनांक से, जिसको कि वे धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन अपने-अपने पद ग्रहण करे, तीन वर्ष होगी :

परन्तु वहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि उस दिन तक, जिसको कि उसका उत्तराधिकारी उक्त पद ग्रहण करे, बढ़ गई तथा उक्त दिन समाप्त हुई समझी जायगी.

[(२) उपाध्यक्ष एक अंग्रेजी वर्ष तक पद धारण करेगा.]

[(३) इस धारा के उपबन्धों के अधीन धारा ५ के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य को छोड़कर अन्य सदस्य अपने निर्वाचन या मनोनयन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक या उसके उत्तराधिकारी सदस्य का यथा विधि निर्वाचन या मनोनयन किये जाने तक की अवधि के लिये जो भी अधिक हो पद धारण करेगा.]

(३) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक, जैसा कि धारा ४ की उपधारा (४) में उपबंधित है, या उस समय तक जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, जो भी अपेक्षाकृत लम्बा समय हो. पद धारण करेगा.

(४) निर्वाचित या मनोनीत सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया है यह उस स्थिति में समझा जायगा जब वह परिषद् की लगातार तीन साधारण बैठकों में परिषद् के मतानुसार बिना यथोचित कारण से अनुपस्थित रहा हो या जब वह पंजीयत चिकित्सा व्यवसायी न रह जाय या जब वह इस राज्य में रहना छोड़ दे.

(५) परिषद् में हुए आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति यथास्थिति, निर्वाचन या मनोनयन द्वारा की जायगी और रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचित या मनोनीत व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष अवधि तक पद धारण करेगा.

(६) जब किसी भी सदस्य की उक्त [पांच] तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने वाली हो तब उक्त अवधि के समाप्त होने के पहले तीन माह के अन्दर कभी भी एक उत्तराधिकारी निर्वाचित या मनोनीत किया जा सकता है परन्तु वह तब तक कार्यभार नहीं संभालेगा जब तक कि उक्त अवधि समाप्त न हो जाय.

८. (१) परिषद् की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुलाई जायगी जो परिषद द्वारा निश्चित किया जाय. परिषद् की बैठक.

(२) विनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर परिषद् के [सात] पांच सदस्य गणपूर्ति करेंगे और परिषद् के समस्त कार्यों पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायगा. बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

६. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिये, ऐसे भत्ते दिये जायेंगे. जो परिषद विनियमों द्वारा निश्चित करे.] परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भत्तों का चुकान.

६. (१) प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम उपाध्यक्ष, यदि राज्य शासन ऐसा निदेश दे, परिषद् के पूर्ण कालिक वैतनिक पदाधिकारी होंगे और उनकी उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जायें. परिषद् के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन तथा भत्तों की देनगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन आवृत्त होने वाले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और उसके सदस्यों को अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि परिषद् विनियमों द्वारा अवधारित करे.

(३) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा तथा उसकी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपी जायं.

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी.

१०. [(१) परिषद् एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, जो परिषद् के सचिव क रूप में कार्य करेगा.]

(१) परिषद् एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो कि परिषद् के सचिव तथा कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

[(२) परिषद् एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगी, जो परिषद् की निधियों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा :

परन्तु कोषाध्यक्ष की नियुक्ति होने तक यदि परिषद् द्वारा मांग की जाए, तो रजिस्ट्रार अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि तक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा.]

(३) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसके द्वारा आवश्यक समझे गये अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी.

(४) रजिस्ट्रार [और कोषाध्यक्ष] की अर्हताएं; नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें और वेतनमान निर्धारित किये गये के अनुसार और अन्य कर्मचारियों की राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति से परिषद् द्वारा निर्धारित किये हुए के अनुसार होंगे.

(५) परिषद् रजिस्ट्रार [कोषाध्यक्ष] या अन्य किसी कर्मचारी से उसके कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करने के लिये ऐसी प्रतभूति की मांग कर सकती है और ले सकती है, जो परिषद् आवश्यक समझे.

(६) परिषद् द्वारा इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार [कोषाध्यक्ष] और अन्य कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का क्रमांक ४५, की धारा २१ के अर्थों में लोक सेवक समझे जाएंगे.

राज्य चिकित्सा पंजी.

११. (१) परिषद् मध्यप्रदेश में रहने वाले चिकित्सा-व्यवसायियों की एक पंजी निर्धारित किये गये के अनुसार रखवायगी, जिसे राज्य चिकित्सा पंजी कहा जायगा.

(२) परिषद् के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम के उपबन्धों और परिषद् द्वारा दिये गये किन्हीं आदेशों के अनुसार राज्य चिकित्सा पंजी को रखे और समय-समय पर, निर्धारित किये गये के अनुसार पंजी का पुनरीक्षण करे तथा राजपत्र में उसे प्रकाशित कराए.

(३) ऐसी पंजी को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का क्रमांक १), के अर्थों में राजकीय लेख्य समझा जायगा और राजपत्र में प्रकाशित प्रति द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा.

पंजीयित किये जा सकने वाले व्यक्ति और पंजीयन फीस.

१२. मान्यता प्राप्त चिकित्सा-अर्हता वाला प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रार को ऐसी अर्हताओं का प्रमाण और [बीस रुपयों] एक सौ रुपये की फीस चुकाने के पश्चात राज्य चिकित्सा पंजी में अपना नाम दर्ज कराने का पात्र होगा.

१३. यदि कोई व्यक्ति [जिसका नाम भारतीय चिकित्सा पंजी में दर्ज न हो, परन्तु], जिसका नाम राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज हो, स्वच्छता विज्ञान, लोक स्वास्थ्य या चिकित्सा में प्रवीणता सम्बन्धी कोई ऐसी उपाधि, पत्रोपाधि या कोई अन्य अर्हता प्राप्त करे, जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता हो, तो वह इस सम्बन्ध में निर्धारित तरीके से आवेदन करने पर और ५ रुपये की फीस चुका देने पर राज्य चिकित्सा पंजी में अपने नाम के आगे पहिले से की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अलावा ऐसी अन्य उपाधि, पत्रोपाधि या अन्य अर्हताओं को दर्ज करा लेने का अधिकारी होगा। अतिरिक्त अर्हताओं का पंजीयन.

१४. (१) कतिपय मान्यता प्राप्त अर्हताएँ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय के सम्बन्ध में इस अधिनियम या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का क्र. १०२), में दी गई शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम राज्य चिकित्सा पंजी में उस समय दर्ज हो, राज्य में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अपनी अर्हताओं के अनुसार चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा और इस प्रकार के व्यवसाय के सम्बन्ध में औषधियों (मेडिकेमेन्ट्स) या अन्य साधनों के लिये कोई खर्च या कीमत या ऐसी कोई फीस, जिसका वह हकदार हो, विधि के अनुसार वसूल कर सकेगा. पंजीयित चिकित्सा व्यवसायियों के विशेषाधिकार.

(२) चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिया जाने वाला किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत अपेक्षित कोई प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं माना जायगा, जब तक कि पंजीयत व्यवसायी के उस पर हस्ताक्षर न हों.

(३) पंजीयत व्यवसायी, या भारतीय चिकित्सा पंजी में दर्ज चिकित्सा व्यवासायी को छोड़ कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सालय, पागलखाने, अशक्तालय, औषधालय या किसी अन्य चिकित्सा-संस्था में चिकित्सक, शल्य चिकित्सक या चिकित्सक अधिकारी के रूप में अथवा स्वास्थ्य या चिकित्सा से संबद्ध किसी अन्य शाखा में चिकित्सक अधिकारी के रूप में किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

१५. परिषद्, रजिस्ट्रार द्वारा निर्देश किये जाने पर या अन्यथा रूप में राज्य पंजी में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किये जाने पर रोक लगा सकेगी या उसका नाम हटाने का आदेश दे सकेगी जो :— राज्य चिकित्सा पंजी में नाम दर्ज किये जाने पर रोक लगाने तथा उसमें से नाम हटाने की परिषद् की शक्ति.

(क) किसी दांडिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये कारावास की सजा पा चुका हो, जो परिषद् के मतानुसार उसके चरित्र पर ऐसा कलंक हो जिससे कि पंजी में उसका नाम दर्ज करना या उसे पंजी में बनाए रखना अवांछनीय हो, या

(ख) परिषद् द्वारा ऐसी जांच के पश्चात्, जिसमें उसे वैयक्तिक रूप से या परिषद् द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया हो और जो परिषद् के स्वयं विवेक से गुप्त रूप से की जा सकेगी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा व्यवसायी के सम्बन्ध में किसी भी दृष्टि से निंद्य आचार का अपराधी ठहराया गया हो.

१६. (१) यदि संबंधित व्यक्ति को यथोचित सूचना देने के पश्चात् या उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हों, जांच करने के बाद परिषद् को, इस बात से सन्तोष हो जाय कि पंजी में कोई प्रविष्टि धोका देकर या गलत दर्ज कर दी गई है या करवाई गई है, और यदि वह उसे रद्द करना या संशोधित करना आवश्यक समझे तो परिषद् ऐसी प्रविष्टि को रद्द करने या संशोधित करने का आदेश दे सकेगी. परिषद् द्वारा राज्य चिकित्सा पंजी में परिवर्तन.

(२) जिन कारणों के आधार पर, परिषद् धारा १५ के अन्तर्गत पंजीयन पर रोक लगा सकेगी, उन्हीं कारणों के आधार पर वह किसी पंजीयत व्यवसायी का नाम पूर्ण रूप से अथवा किसी विशिष्ट अवधी के लिये राज्य चिकित्सा पंजी से हटाने का निर्देश दे सकेगी.

(३) परिषद् यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा (२) के अन्तर्गत हटाया गया कोई नाम उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, फिर से सम्मिलित किया जा सकेगा जिन्हें लगाना परिषद् उचित समझे.

जांच की कार्यप्रणाली.

१७. [धारा १२ या धारा १५] धारा १२, १५, १६ या २१ के अन्तर्गत किसी जांच के प्रयोजन के लिये परिषद् या धारा २९ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत कोई समिति भारतीय साक्ष अधिनियम, १८७२ (१८७२ का क्र. १), के अर्थों में न्यायालय मानी जायगी और लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (१८५० का क्रमांक ३७), के अन्तर्गत नियुक्त आयुक्त की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और इस प्रकार की जांच, यथासंभव उक्त लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (१८५० का क्र. ३७), की धारा ५ और धाराएं ८ से २० के उपबन्धों के अनुसार की जायगी.

परिषद् के निर्णय के विरूद्ध अपील.

१८ (१) धारा १२ या धारा १५ के अन्तर्गत परिषद के प्रत्येक निर्णय के विरूद्ध राज्य शासन को अपील की जा सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील, सम्बन्धित पक्ष द्वारा इस प्रकार के निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर की जायगी.

फीस की व्यवस्था

[१९. इस अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये गये सभी जुर्मानों का तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत परिषद् द्वारा प्राप्त सभी रकमों का उपयोग इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रयोजनार्थ किया जावेगा.]

परिषद् निधी.

१९. (१) परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद्-निधि कहलायेगी.

(२) निम्नलिखित, परिषद्-निधि के भाग बनेंगे या उसकी उसमें देनगी की जायेगी :—

(क) केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा कोई अंशदान या अनुदान ;

(ख) फीस तथा जुर्मानों से हुई आय को सम्मिलित करते हुए परिषद् की समस्त स्त्रोतों से आय;

(ग) न्यास, प्ररिक्थ, दान, धर्मस्व तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो

(घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समाप्त अन्य राशियां.

उद्देश्य, जिनके लिये परिषद् निधि की प्रयुक्ति की जा सकेगी.

१९-क. परिषद् निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त होगी :—

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये किये गये ऋणों के प्रतिदान के लिये;

(ख) किसी वाद या कार्यवाही के, जिसमें परिषद् एक पक्ष हो, व्ययों के लिये

(ग) परिषद् के पदाधिकारियों तथा सेवकों के वेतनों तथा भत्तों की देनगी के लिये;

(घ) परिषद् के पदाधिकारियों को वेतन तथा भत्तों की देनगी के लिये;

(ङ) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये किये गये किन्ही भी व्ययों की देनगी के लिये;

(च) चिकित्सा संबंधी शिक्षा, गवेषणा तथा प्रशिक्षण की उन्नति तथा विकास के हेतु कोई अन्य व्यय करने के लिये जिनका कि परिषद् द्वारा चिकित्सा-वृत्ति के सामान्य हित में होना घोषित किया गया हो.

नैदानिक चिकित्सा व्यवसाय के लिये अंतिम पंजीयन.

२०. यदि कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा-अर्हता प्राप्त करने के लिये जिस अध्ययन पाठयक्रम को पूरा करना हो उसमें किसी व्यक्ति के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा इस प्रकार की अर्हता उसे प्रदत्त किये जाने के पूर्व कोई प्रशिक्षण अवधि भी शामिल हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में आवेदन किये जाने पर राज्य चिकित्सा-पंजी में अन्तिम रूप से पंजीयत किया जा सकेगा, जिससे वह अनुमोदित संस्था में उक्त अवधि के लिये चिकित्सा व्यवसाय कर सके.

उन व्यक्तियों को छोड़कर जो पंजीयत होने के पात्र हों या जिनके नाम राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज किये गये समझे गये हों, चिकित्सा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों की सूची रखना.

२१. [(१) परिषद्, धारा (३) की उपधारा (१) के अन्तर्गत उल्लिखित तारीख (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में उल्लिखित तारीख कहा गया है) के ठीक पहले चिकित्सा व्यवसाय करने वाले उन व्यक्तियों की सूची बनवाएगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत किये जाने के पात्र न हों, या जिनके नाम धारा ३१ के खंड (ग) के अन्तर्गत राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज करने योग्य नहीं समझे गए हों].

(१) परिषद् उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करवायेगी :—

(क) जो धारा ३२ के अधीन निरसित किन्ही भी अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत किये गये थे, किन्तु कोई मान्य चिकित्सीय अर्हता नहीं रखते हों;

(ख) जो धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन उल्लिखित किये गये दिनांक के (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उल्लिखित दिनांक के नाम से निर्दिष्ट है) ठीक पूर्व, राज्य में दस वर्ष से अन्यून कालावधि तक नियमित चिकित्सा व्यवसाय करते रहे हों, और ऐसा व्यवसाय उनकी जीविका-उपार्जन का एकमात्र साधन रहा हो और जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्र न हों या धारा ३१ के खंड (ग) के अधीन राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित किये गये समझे जाते हों;

(ग) जो अनुसूची में उल्लिखित की गई अर्हताओं में से कोई भी अर्हता रखते हों और जो धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन उल्लिखित किये गये दिनांक के ठीक पूर्व, राज्य में चिकित्सा व्यवासय कर रहे हों;

(घ) जो ऊपर के खंड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा आवृत्त न होते हों और ऐसी मान्य चिकित्सकीय अर्हताओं को छोड़ कर, जो कि राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा

या किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई हो और इस संबंध में परिषद् द्वारा मान्य हो, अन्य अर्हताओं में से कोई भी अर्हता रखते हों :

परन्तु जब तक कोई भी मान्यता प्रदान नहीं की जायगी जब तक कि परिषद् की यह राय न हो कि ऐसी अर्हताएं उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात् प्रदान की जाती हैं तथा ऐसी अर्हताओं की पाठ्य-चर्या में चिकित्सा के विषय सम्मिलित हैं.

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत आनेवाला तथा उसमें निर्दिष्ट सूचीमें अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये इच्छुक कोई भी व्यवसायी उल्लिखित तारीख से ६ मास के भीतर [निर्धारित फीस] एक सौ रुपये फीस के साथ निर्धारित फर्म में रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, उसमें दिये जाने वाले कारणों के आधार पर, उक्त अवधि को अधिक से अधिक ६ माह तक बढ़ा सकेगा.

[(३) परिषद् उसके द्वारा उचित जांच के पश्चात् तथा इस बात से अपना समाधान हो जाने पर कि आवेदन उल्लिखित तारीख के ठीक पहले से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा था, आवेदक का नाम सूची में सम्मिलित करेगी.]

(३) धारा २६ के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत परिषद् या समिति,—

(क) उपधारा (१) के खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, धारा ३२ के अधीन निरसित अधिनियमों में से किसी के भी उपबन्धों के अनुसरण में उनके रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के बारे में;

(ख) उपधारा (१) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, उक्त खंड में बतलाये गये अनुसार राज्य में उनके द्वारा चिकित्सा व्यवसाय किये जाने के तथ्य के बारे में;

(ग) उपधारा (१) के खंड (ग) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, अनुसूची में उल्लिखित की गई अर्हताएं उनके द्वारा, रखे जाने के तथ्य के बारे में;

(घ) उपधारा (१) के खंड (घ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, उक्त खंड में उल्लिखित किये गये विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अर्हता प्रदान की जाने के तथ्य के बारे में जांच करने के पश्चात् और अपना यह समाधान कर लेने पर कि आवेदक यथास्थिति उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग) या (घ) में दी गई अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, सूची में आवेदक का नाम समाविष्ट कर लेगी.

[(४) धारा १८ के उपबन्ध, उपधारा (३) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा दिये गये किसी आदेश पर लागू होते हैं.]

४) उपधारा (३) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील होगी—

(क) यदि ऐसा आदेश समिति द्वारा पारित किया गया हो, तो परिषद् को;

(ख) यदि ऐसा आदेश परिषद् द्वारा पारित किया गया हो, तो राज्य शासन को.

(४-क) उपधारा (४) के अधीन प्रथम अपील में, परिषद् द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य शासन को होगी :

परन्तु इस आधार को छोड़कर कि आदेश विधि के प्रतिकूल है, कोई द्वितीय अपील नहीं होगी.

(४-ख) उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक अपील तथा उपधारा (४-क) के अधीन प्रत्येक द्वितीय अपील संबंधित पक्षकार द्वारा आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से तीन मास के भीतर की जायगी.

(५) जिस व्यक्ति का नाम इस धारा के अन्तर्गत बनाई गई सूची में सम्मिलित किया गया है, वह [धारा १४] धारा १४ की उपधारा (१) में उल्लिखित पंजीयत व्यवसायी के सभी विशेषाधिकारों का हकदार होगा.

(६) रजिस्ट्रार [उपधारा (२) में उल्लिखित अवधि या उसके अन्तर्गत आगे बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होते ही यथासंभव शीघ्र] उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाई गई व्यक्तियों की सूची राजपत्र में प्रकाशित करेगा और इस प्रकार की सूची का प्रकाशन इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि उसमें सम्मिलित व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के अनुसार चिकित्सा व्यवसाय करने का पात्र है.

२२. इस अधिनियम या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में उपबंधित स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति राज्य में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा या अपने उस व्यवसाय को जारी नहीं रखेगा. **अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम, १९५६ का क्रमांक १०२ में उपबंधित स्थिति को छोड़ व्यवसाय करने पर रोक.**

२३. यदि राज्य शासन को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत उसे सौंपी गई शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, उसका अतिप्रयोग किया है या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों में से किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, और यदि राज्य शासन की राय में ऐसी चूक (फेल्योरट) अतिप्रयोग या दुरुपयोग गम्भीर स्वरूप का हो, तो वह उसके ब्यौरों की सूचना परिषद् को देगा और यदि परिषद् इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा नियत की गई अवधि के भीतर ऐसी चूक, अतिप्रयोग या दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई सुधार न करे, तो राज्य शासन परिषद् को भंग कर सकेगा और परिषद् की सभी या किसी शक्ति या कर्त्तव्य का पालन उस व्यक्ति द्वारा तथा अधिक से अधिक दो वर्ष तक की उस अवधि के लिये करवायेगा, जिसे वह उचित समझे, और नई परिषद् गठित करने के लिये कदम उठायेगा. **राज्य शासन का नियत्रण.**

२४. (१) परिषद् राज्य शासन को ऐसे प्रतिवेदन, उसके कार्यवृत्तों की प्रतियां, उसके लेखाओं का संक्षेप तथा अन्य जानकारी देगी, जिसकी कि राज्य शासन मांग करे. **परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी तथा उसका प्रकाशन.**

(२) राज्य शासन इस धारा के अन्तर्गत उसे दिया गया कोई प्रतिवेदन, प्रति, संक्षेप या अन्य जानकारी उसके द्वारा उचित समझे गये तरीके से प्रकाशित कर सकेगा.

शास्ति.

[२५. (१) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य चिकित्सा-पंजी में दर्ज न हो, मिथ्या रूप में यह दर्शाये कि उसका नाम उस प्रकार दर्ज किया गया है या अपने नाम या उपाधि के सम्बन्ध में यह दर्शाने वाले ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करे कि उसका नाम उस प्रकार दर्ज किया गया है तो, ऐसे निरूपण से किसी व्यक्ति को वस्तुतः धोखा दिया गया हो अथवा नहीं, उस पर अधिक से अधिक एक हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा.

(२) जो कोई व्यक्ति धारा २२ के उपबन्धों का उल्लंघन करे, उस पर अधिक से अधिक दो हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा.]

शास्ति.

२५. (१) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित न हो या धारा २१ के अधीन बनाये रखी गई सूची में समाविष्ट न हो, मिथ्यारोपण यह बहाना करता है कि उसका नाम इस प्रकार अंकित है या सूची म दर्ज है या अपने नाम अथवा उपाधि के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है जो यह व्यपदिष्ट करते हों कि उसका नाम इस प्रकार अंकित है या सूची में दर्ज है, तो वह, चाहे ऐसे व्यपदेशन द्वारा किसी व्यक्ति को वस्तुतः धोखा दिया गया हो या नहीं, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडनीय होगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो धारा २२ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडनीय होगा.

अपराध का संज्ञान.

२६. (१) कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार द्वारा या इस संबंध में परिषद् के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में शिकायत करने पर ही इस अधिनियम के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं.

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत दन्डनीय किसी भी अपराध की न्याय जांच प्रथम श्रेणी के दन्डाधिकारी से निम्न श्रेणी के न्यायालय द्वारा नहीं की जायेगी.

रिक्त स्थान रहने से कार्यवाहियां आदि अवैध नहीं होगी.

२७. परिषद् का कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि :—

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है-या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या मनोनयन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी कार्यप्रणाली में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालती.

सद्भाव से किये गये कार्य के लिये संरक्षण.

२८. इस अधिनियम के अन्तर्गत सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी कार्य के संबंध में राज्य शासन परिषद् या उसकी किसी समिति अथवा शासन या परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य वैध कार्यवाही नहीं की जायेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

२९. (१) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को यन्वित करने के लिये नियम वना सकेगा.

(२) इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम विधान सभा पटल पर रखे जायेंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

३०. परिषद्, राज्य शासन की पूर्वानुमति से, सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकेगी—

(क) परिषद् की संपत्ति का प्रबन्ध और उसके लेखे रखने और उनकी लेखा परीक्षा करना;

(ख) परिषद् की बैठकें बुलाना और उन्हें आयोजित करना और ऐसी बैठकों के आयोजन का समय और स्थान तथा उनमें किये जाने वाले कार्यों का संचालन;

(ग) परिषद् के सदस्यों के त्यागपत्र;

(घ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) समितियों की नियुक्ति का तरीका, बैठकें बुलाना और आयोजित करना और ऐसी समितियों का कार्य संचालन;

(च) रजिस्ट्रार तथा परिषद् के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को पदावधि, शक्तियां तथा कर्त्तव्य एवं सेवा की अन्य शर्तें;

[(छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिये आवेदन में किये जाने वाले ब्यौरे और अर्हताओं के प्रमाण;]

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये या धारा २१ के अधीन बनाये रखी जाने वाली सूची में नाम के समावेश के लिये आवेदन में वर्णित की जाने वाली विशिष्टियां या दिये जाने वाले अर्हताओं के प्रमाण;

(ज) इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनपत्रों और अपीलों के संबंध में चुकाई जानेवाली फीस;

(झ) ऐसा कोई भी विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है.

धारा ३ के अंतर्गत परिषद् की स्थापना के फलस्वरूप होने वाले परिणाम.

३१. इस धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना में परिषद् की स्थापना के लिये उल्लिखित तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात् :—

[(क) महाकौशल चिकित्सा परिषद्, मध्यभारत चिकित्सा परिषद् और चिकित्सा व्यवसायी पंजीयन अधिनियम, १९३५ की धारा २ के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सा परिषद् विघटित हो जायेगी;]

(क) महाकौशल मेडिकल कौंसिल तथा मध्यभारत मेडिकल कौंसिल विघटित हो जायेंगी;

(क-१) मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९३५ (भोपाल एक्ट क्रमांक ७, सन् १९३५), की धारा २ के अधीन स्थापित मेडिकल कौंसिल, उसके रजिस्टर पर के एलोपेथि चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसायियों के संबंध में, क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट परिषदों की सभी आस्तियां और दायित्व धारा ३ के अन्तर्गत स्थापित परिषद् के हो जायेंगे;

(ग) धारा ३२ के अन्तर्गत निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत या राजस्थान चिकित्सा अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत पंजीयित और राज्य में रहने वाले तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता रखने वाले समस्त पंजीयित चिकित्सा व्यवसायी इस अधिनियम के लागू होने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य चिकित्सा पंजी (घ) में पंजीयित चिकित्सा व्यवसायी के रूप में दर्ज समझे जायेंगे;

(घ) उपर्युक्त तारीख से तत्काल पूर्व खण्ड (१) में उल्लिखित परिषदों और उनके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी धारा ३ के अन्तर्गत स्थापित परिषद् के कर्मचारी समझे जायेंगे :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों के सेवा संबंधी निर्बन्धन और शर्तें, जब तक कि उनमें परिषद्, द्वारा राज्य शासन की पूर्वानुमति से परिवर्तन न किया जाये, तब तक सेवा संबंधी उन निर्बन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी, जो ऐसी तारीख से पूर्व ग्राह्य थीं :

परन्तु, इसके आगे यह भी कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्ध के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा कोई भी मंजूरी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया जाये;

(ङ) खंड (क) में निर्दिष्ट परिषदों के सभी अभिलेख और कागजात धारा ३ के अन्तर्गत स्थापित परिषद् में निहित हो जायेंगे और उसे हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे.

निरसन. ३२. धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत परिषद् की स्थापना के लिये उल्लिखित तारीख से मध्यप्रान्त और बरार चिकित्सा पंजीयन अधिनियम, १९१६ (१९१६ का क्रमांक एक), और मध्यप्रदेश वैधानिक (स्टेट्युटेरी) निकाय (क्षेत्रीय गठन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का क्रमांक सत्रह), जहां तक कि वह उक्त अधिनियम से संबंधित है, मध्यभारत चिकित्सा व्यवसायी पंजीयन अधिनियम, १९५४ (१९५४ का क्रमांक सोलह), और चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९३५ (भोपाल राज्य अधिनियम, १९३५ का क्रमांक सात), जहां तक कि वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से संबंधित है जो कि धारा २ के खंड (घ) में परिभाषित रूप में चिकित्सा व्यवसाय करते हों, निरसित हो जायेंगे.

अनुसूची

[धारा २१ (१) (ग) देखिये]

१. बनारस विश्वविद्यालय का ए. एम. एस. या ए. बी. एम. एस.

२. यू. पी. बोर्ड लखनऊ का बी. आई. एम. एस. या ए. बी. एम. एस.

३. सागर विश्वविद्यालय का बी. ए. एम. एस.

४. अलीगढ़ विश्वविद्यालय का बी. यू. एम. एस.

५. देशी औषधि परिषद्, मध्यभारत ग्वालियर का ए. व्ही. एम. एस.

६. बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम्स आफ मेडीसिन देहली स्टेट का बी. आई. एम. एस.